

- सम्बन्धित विद्युत उपसंस्थान का नाम
 सम्बन्धित उपखण्ड का नाम
 आवेदक की साइट की जांच की
 की मीटर पानी उठाने में सक्षम है तथा आवेदन के खिलाफ कोई चैकिंग/
 विजिलेंस की कार्य नहीं हुई है।

ह० अवर अभियन्ता

कोषाध्यक्ष,

उपभोक्ता के आग्रह पर सशर्त प्रार्थना पत्र स्वीकार
कि विभाग में सामान उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही होगी !
कृपया 200/- रु. प्रक्रमण धनराशि जमा करें।

अधि. अभियन्ता



निजी नलकूप विधा के लिए
.....अश्वशक्ति
प्रभार स्वीकृत किया जाता है।

सहा.अभि.(रा.)/अधि.अभि.

केवल नलकूपों के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए

आवेदन-पत्र

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय प्रतापगढ़

- 1- प्रार्थी का नाम और पता
 पिता/प्रति का नाम.....
 ग्राम.....
 ब्लाक.....
 विजली की शक्ति को मात्रा जिसके आवेदन पत्र दिया
 जा रहा है। साइट जहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं।
 3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की
 जायेगी। जमीन के दुड़हो का पूरा विवरण, उनका नाम,
 संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाय।
 4- क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे स्थान पक्के कुरे
 आदि से की जा सकती है?
 5- अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी
 और अब उनसे आगे काम क्यों नहीं लिया जा सकता।
 6- क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या
 नहर द्वारा रोपी जाने वाले क्षेत्र/कमाण्ड एवं रिया के अन्तर्गत
 आता है।
 7- क्या नलकूप की बोरिंग की गई और पम्प संथां मोटर लगा
 दिये हैं।
 8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर
 के बीच की दूरी।
 9- नलकूप के स्थान से बिली के निकटतम खम्बे की दूरी
 यदि कोई हो।
 10- पाइप का व्यास, चलना (स्ट्रनर) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई)
 की गहराई, स्रोत की सतह पहले पानी फटने की सतह की
 गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रत घंट गैलनों में।
 11- प्रकरण शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक
 स्रोत का नम्बर जिसमें प्रार्थी की बोरिंग करवाया।

खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संख्या

४०

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं० १७०९ में पूरे ५
अतः ३८०९ अवश्य शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।
- (ब) मेरे द्वारा साइट की जांच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है।

*महाराष्ट्र उक्त कृष्ण का लौरी इनीफर द्वारा
२१/११५५५ वर्ती नाम के लौरी इनीफर नक्सल है।
Note: महाराष्ट्र पर इसका नक्सल है।
लौरी इनीफर है।*

हस्ताक्षर ५२३

बी.डी.ओ. की मुहर सहित
खण्ड विकास अधिकारी
विभाग-पायलखराय घाम

जनपद-प्रतापगढ़ घोषणा करता हूँ कि

- मैं मैं ग्राम ब्लाक
 डा० तहसील
- (1) मैं/हम अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/रहे हैं।
 (2) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई बाद विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
 (3) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकमण शुल्क/प्राथमिकता शुल्क जमा करने को तैयार हूँ/हैं।
 (4) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।
 (5) मेरा/हमारा स्वयं का शापथ पत्र संलग्न है।
 (6) यह खातेदारों का शापथ पत्र संलग्न है।
 (7) फोटो प्रमाणित है।
 (8) खसरा, खतौनी संलग्न है।
 (9) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बिल बकाया हो या कोई बिलीलेस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।
 (10) प्रार्थना पत्र सर्वानुसार स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग के जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुबन्ध न करने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
 (11) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

✓ हस्ताक्षर मिला

हस्ताक्षर *तारा चन्द्र मिला*

आवेदन का नाम *तारा चन्द्र मिला*

(प्रधान/ब्लाक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम *तारा चन्द्र मिला*

म.....

पता *तारा चन्द्र मिला*



विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रुपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

- मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निम्नलिखित- भू- गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) की प्रक्रिया/प्रक्रिया के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त..... अश्वशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं/ उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्षानुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से किसी ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

- मैं/ हम एतद् द्वारा समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त संभारण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

- मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमाउन्ट) जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रेतर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

- मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूमि (गारण्टी) परिचय (चार्ज) में जो भी कमी आदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जब बिल के देरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

- मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समान को ले जाने के लिये वचनबद्ध होता हूँ होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचन बद्ध नहीं होते हैं।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

- मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। हम, एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की शर्तों को पालन करूँगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् वर्ती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूँगा/करेंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 तदन्तर्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिक्सिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आबद्ध हूँगा/होंगे।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

- मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आपेक्षित सीमेन्ट की व्यवस्था करने के लिये वचनबद्ध होते हैं। वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचनबद्ध नहीं होते हैं।

/ लागू-च्छवि फ़िल्म

भारतीय राष्ट्रीय बैंक चालान

(2)

मैं एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ कि मैं निम्नलिखित उपानुबन्धों (स्टीपुलेशन्स) का पालन करूँगा।

(1) सर्विस कनेक्शन एवं अन्य निर्धारित व्यय आदि की धनराशि जमा करता हूँ।

(2) अन्य वांछित औपचारिकताएं पूरी करूँगा।

(3)

मैं हम वचनबद्ध होता हूँ/वचनबद्ध होते हैं कि समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन इस वचनपत्र के निष्पादन के निमित्त आपेक्षित स्टाम्पों द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क यदि कोई हो को भुगतान करूँगा/करेंगे।

टिप्पणी-मैंने संभरण की दर्ता, शर्तों, तथा प्रतिबन्धों को सुसंगत रूप से प्राप्त कर लिया गया है।

/ लाला-चन्द्र मिश्र

/ लाला-चन्द्र मिश्र

/ लाला-चन्द्र मिश्र

उपभोक्ता के साक्षी का नाम तथा पता

गवाह (1) हस्ताक्षर

नाम..... दिलीप पुरुष चन्द्र मिश्र

पिता का नाम..... श्री लक्ष्मणनन्द मिश्र

ग्राम..... बड़ीरुपुर

डा..... बड़ीरुपुर

जनपद-प्रतापगढ़

गवाह (2) हस्ताक्षर

नाम..... श्री कमल मिश्र

पिता का नाम..... लक्ष्मण पिट्ठाधर मिश्र

ग्राम..... बड़ीरुपुर

डा..... बड़ीरुपुर

जनपद-प्रतापगढ़

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम लाला-चन्द्र प्रतापगढ़ मिश्र

पिता का नाम..... श्री लक्ष्मणनन्द मिश्र

ग्राम..... बड़ीरुपुर

डा..... बड़ीरुपुर

थाना..... दिलीप पुरुष चन्द्र मिश्र

/ लाला-चन्द्र मिश्र

ब्लाक..... बड़ीरुपुर कुचन्द्र

जनपद-प्रतापगढ़

जाति..... हिन्दू

जाति..... हिन्दू

उम्र..... 62 वर्ष

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

1. प्रतिभूति/धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या

(2) दिनांक.....

(3) धनराशि

(क) अंकों में

(ख) शब्दों में

2. संभारण प्रारम्भ होने का दिनांक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

(कार्यपूरक प्रमाण-पत्र)

(राज्य सरकार द्वारा अनुशासि (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता स्वामी का नाम

पिता/पति का नाम

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

(1) वोल्टता

(2) क्लाऊं (फेजों) की संख्या

(3) ए०सी०/डी०सी०

वायरिंग का प्रयोजन

वायरिंग का प्रकार (बटन, कन्ड्यूट इत्यादि)-

संस्थापना की विशिष्टियां:-

वोल्टता २३०
क्लाऊं ३
ए०सी०/डी०सी० २३०
वायरिंग बोर्ड
संस्थापना की विशिष्टियां:-

	220/230 वोल्टस						400/440 वोल्टस 230	उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थान		
	फेज 1		फेज 2		फेज 3					
	संख्या	कुल वाइस	संख्या	कुल वाइस	संख्या	कुल वाइस				
(I)										
(1) बतियों के बाइंट	१	१२०								
(2) पंखो का बाइंट										
(3) लग बाइंट										
(4) मोटर/जनरेटर्स										
(इन स्थानों पर दिया जाए)										
मोटर ३४४										
यो-	२	१२० वाई					१	३४४		
							१	३४४		

(II) मॉल (१५६) १५० ५० १५० १५०

अन्य उपकरण (पूर्ण ब्योरा दिया जाये)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में- ३४४
अधिकतम कोर्ट मांग एम्पियर में- १६०००
(कुल संयोजित भार के आधार पर)

(2)

का रिसाव रोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विर्निदष्ट किया जाय

फेज-1 व अर्थ

- (1) फेज एवं अर्थ के बीच—
 (2) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच—

फेज-2 व अर्थ

४

फेज-3 व अर्थ

८

फेज-1 व अर्थ

- (3) तारो के मध्य

३८८

फेज-2 व अर्थ

०

फेज-3 व अर्थ

८

नियम-29 :-

- (1) बतायें की वायरिंग के कार्य, प्रयुक्त सामाग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान संख्या व्यवहार सहित के अनुसार है।
 (2) बतायें की प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित हैं।
 (3) बतायें की समस्त स्विच विद्युमन्य (जीवन) द्वारा लगाये गये हैं।

नियम- 32:-

बतायें की दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थाई प्रकृति का सचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक का विद्युमय (जीवन्त) चालको से सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं/हम **मेरा आशा इलेक्ट्रिकल्स** लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स संख्या PGH-69 निम का सत्यापन करते हुये घोषणा करते हैं कि :-

- (अ) पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
 (ब) पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
 (स) संस्थापना कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
 (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम सुभाष चन्द्र पाण्डेय परमिट संख्या-20764 वैधता तिथि-.....10/1/28

पर्यवेक्षक का नाम मदन लाल वैश्य प्रमाण पत्र सं0-6844 वैधता तिथि-.....26.9.25

(3)

अप्रान्ति का नाम एवं हस्ताक्षर श्री कुन्दन लाल वैश्य
दिनांक.....

10/11/13

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम
मे0 आशा इलेक्ट्रिकल्स
शंकरगंज, पृथ्वीगंज, प्रतापगढ़
लाइसेंस संख्या PGH-69
लाइसेंस श्रेणी "क"
वैधता का दिनांक 10/12/24

M/s Asha Electrics
ठेकेदार के हस्ताक्षर
[Signature]
Examiner

घोषणा (उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्राविधिकानों का अनुपालन में रोका गया है। मुख्य पर्याय की अधिकतम् क्षमता 16 AOP एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा प्राप्त होने पर की जायेगी।

दिनांक.....

10/11/23

✓ लाल कुन्दन वैश्य

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

विद्युतरोधी प्रतिरोधों का परिणाम

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(1) फेज एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(2) तार एवं अर्थ के बीच-

विद्युत संस्थापना में पाई गई कमियां (यदि कोई हों) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृति कार्यवाही-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पदनाम

INDIAN ELECTRICITY RULES 1956

Statement in regard to the Compliance with the requirements of rule 33,50 and 61

The attention of the consumer is drawn to the rules mentioned above in regard to the supply of energy at medium pressure, sanction to use of energy at this pressure can not be given unless all the provision of said rules have been with the consumer must submitted this form is duplicate along with treasury challan after replying and signing each of the following question both by himself and be the electrical contractor who has done the writing work of the suppliers office for verification. If the installation on test and verification is found in order it will be connected and the statement will be counter reigned by the supplier and forwards to the electrical inspector to Government of Uttar Pradesh.

Question	Reply	Owners	Remarks of the Electrical Inspector
1	2	3	4

- Have you affixed departmental entry in a conspicuous position a caution notice in Hindi with word 'सावधान' on a sheet of not less than "12x9" size in red letters on white background.[Rule 35 (a)] Yes/No
- In a suitable iron-cald linked switch or circuit breaker request capacity to carry and break and break the current placed in each conductor as a neera possible to but after the point commencement of supply.[Rule 50 (1) (1)] Yes/No
- Have you installed a suitable iron-cald lincked switch or a circuit breaker of request in capacity is such a position as to abdicant to the motor other apparatus readily accessible to end easily operate by the person in charge to cut off the supply from the motop or apparatus etc.[Rule 50 (1) a] Yes/No
- Are all conductor completely enclosed in machinically strong metal casing or metallic covering ? [Rule 50 (1) (a)] Yes/No
- Has a clear space or not less than 3 feet in which been provided in front of the switch board. [Rule 51 (1) (c) (1)] Yes/No
- If there are any attachment of bare connection of the pack of the switch board is the space behind the switch board less than 9 inches or more than 30 inches in with [Rule 51 (1)(c) (it)] Yes/No
- Has the frame of your motor metallic parts of all transformers and any other opporuts used for regulating or controlling energy earthed by two separate and distant connection with earth [Rule (61) (2)] Yes/No
- What is the earth resistance of earth connection
 - Licensers earth
 - Consumer Earth
- Have you deposited the prescribed the fee for the inspection by the Electrical Inspector, under the head. 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क
- 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क
T.C. NO..... Date.....